न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता – *ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.*

गुण्डा नियत्रंण अपील संख्या 02/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
राजेश पुत्र केशाराम जाति, आचार्य, निवासी शास्त्री कॉलोनी, बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बाडमेर।		अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर।

गुण्डा नियत्रंण अपील अन्तर्गत धारा 06 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 विरूद्ध आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी मुकदमा संख्या 08/2017 में दिनांक 27.3.2018 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1- श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2- श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांकः– 26.2.2019

प्रस्तुत गुण्डा नियत्रंण अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक बाडमेर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तगास पेश कर अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना, बालोतरा, जिला बाडमेर मे राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग के तहत वर्ष 2012 से 2014 के दरम्यान कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके है। तीनों प्रकरण मे अर्थ दण्ड की सजा देकर रिहा किया गया। उक्त दर्ज प्रकरणों में सजा दिये जाने पर अपीलान्ट को अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक 27.3.2018 के द्वारा राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्ट को 1 माह की अवधि के लिये बाडमेर जिला की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस अधीक्षक, जालोर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट के द्वारा गुण्डा नियत्रंण अधिनियम के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन कि अपीलान्ट पर पुलिस विभाग के द्वारा यह आरोप आरोपित किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान गेम्बलिंग अधिनियम के तहत वर्ष 2003 से 2013 के दरम्यान कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके है। पुलिस विभाग द्वारा अपीलान्ट पर सिद्ध दोष मानते हुए अपीलान्ट को आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति मानते हुए, जो समाज के विरूद्ध है और जिससे लोक शान्ति भंग होती है, अतः उसके विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावे। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा अपीलान्ट को गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्ट को जिला बाडमेर की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस थाना जालोर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये जबकि अपीलान्ट को धारा 3 के तहत नोटिस जारी होने से वर्ष पूर्व तक कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के आधार पर मान्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि धारा 3 के तहत जारी नोटिस दिनांक के छः माह पूर्व तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गुण्डा घोषित किया जा सके। इस प्रकार बिना किसी विधिक आधारों के पारित आदेश गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट वर्तमान समय में मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अपीलान्ट ने समाज की मुख्य धारा मे जीवन जीना प्रारम्भ कर दिया है। अपीलान्ट के अच्छे प्रयास को देखते हुए अपीलान्ट के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

राज्य पक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने लिखित प्रत्युतर पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न समय मे राजस्थान गेम्बलिंग अधिनियम के तहत जो प्रकरण तत्समय में दर्ज हुए तथा उन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए सजा भी पारित की गई है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपों से सिद्ध है कि अपीलान्ट एक आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध किये है, अतः अपीलान्ट के समाज विरोधी कृत्यों को देखते हुए उसके विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) का उल्लंघन किया जाना माना है। जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण अपीलान्ट

के द्वारा 3 वर्ष से पूर्व कारित किये गये है। **राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975– "गुण्डा" परिभाषा– धारा 3 के तहत कार्यवाही के तुरन्त पूर्व अपीलार्थी ने धारा 2(ख) के तहत छः माह के भीतर कोई अपराध नही किया। प्रमाणिक तिथि वह होती है जब धारा 3 के तहत नोटिस जारी किये जाते है। ऐसे मामलों मे की गयी कार्यवाही पूर्णरूपेण अधिकारिता विहीन है और विधि की दृष्टि मे शून्य है।**

वर्तमान प्रकरण मे कोई भी आपराधिक प्रकरण धारा 3 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व छः माह की अवधि के भीतर नही आते है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्ट के वर्तमान चरित्र एवं गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 मे दिये गये प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, जिसका अभाव अपीलाधीन आदेश मे पाया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश गुण्डा अधिनियम मे दिये गये प्रावधानों के विपरित होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रे के प्रकरण संख्या 8/2017 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.3.2018 निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर